

आरक्षित वनभूमि की गणना

विद्युत वितरण खण्ड चित्रकूट (द.वि.वि.नि.लि.) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की आर.ए.पी.डी. आर.पी. योजना के अनुसार चित्रकूट धाम में विद्युत की ओवरहेड लाइनों एवं सबस्टेशनों को भूमिगत केबिलों में परिवर्तित करने हेतु राष्ट्रीय मार्ग एन.एच.-76 इलाहाबाद बांदा रोड़ पर किलोमीटर सं० 107 से किलो मीटर सं० 100 तक सड़क मार्ग दोनों ओर विद्युत की भूमिगत केबिलें डालना प्रस्तावित है। केबिले बिछाने के लिये आरक्षित वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	स्थल का नाम	प्रयोजन	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	क्षेत्रफल (व०मी० में)	अभ्युक्ति
1	इलाहाबाद बांदा रोड़(एन.एच.-76) पर किलो मीटर संख्या 107 से 100 तक राष्ट्रीय मार्ग के दांयी ओर	भूमिगत विद्युत केबिल बिछाने हेतु	7000.00	0.300	2100.00	आरक्षित वन भूमि
2	इलाहाबाद बांदा रोड़(एन.एच.-76) पर किलो मीटर संख्या 106 से 100 तक राष्ट्रीय मार्ग के बांयी ओर	भूमिगत विद्युत केबिल बिछाने हेतु	6000.00	0.300	1800.00	आरक्षित वन भूमि
योग-					3900.00 व०मी० या 0.39 है०	आरक्षित वन भूमि

(राजेन्द्र कुमार राजपूत)

अवर अभियंता

वि०वि० खण्ड चित्रकूट

(सुनील चन्द)

अधिशाषी अभियंता

वि०वि० खण्ड चित्रकूट